पत्रांक/ 2331 /आयु0कर उत्तरा0/वि0–अनु0/पत्रा0–29 /16–17/देहरादून।

कार्यालय आयुक्त कर, उत्तराखण्ड

(विधि–अनुभाग)

दिनांक:: देहरादून :: 25जून, 2016

ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्य0/प्रव0), वाणिज्य कर,
देहरादून/ऋषिकेश /हरिद्वार/रुड़की
काशीपुर/बाजपुर/रुद्रपुर/खटीमा सम्भाग।

मुख्यालय के पत्रांक 940 दिनांक 26.05.2016 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा ऑनलाइन लौरी चालान नहीं बनवाए जाने पर आगामी 01 माह तक किसी भी वाहन/ट्रांसपोर्ट के विरूद्ध कोई विधिक कार्यवाही नहीं किए जाने सहित यदि किसी ट्रांसपोर्ट/परिवहनकर्त्ता द्वारा ऑनलाइन लौरी चालान नहीं बनाया गया है तो ऑनलाइन लौरी चालान बनवाने में उसकी सहायता करते हुए उनके विरूद्ध कोई उत्पीड़नात्मक कार्यवाही नहीं किए जाने हेतु निर्देशित किया गया था।

उक्त क्रम में संदर्भित अवधि समाप्त होने के आलोक में आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि आप अपने अधीनस्थ समस्त सचल दल इकाईयों/कर निर्धारण अधिकारियों को निर्देशित करें कि आगामी 01 माह तक ऑनलाइन लौरी चालान नहीं बनवाये जाने पर किसी भी वाहन/ट्रांसपोर्टर के विरूद्ध कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जाए तथा यदि किसी ट्रॉसपोर्ट/परिवहनकर्त्ता द्वारा ऑनलाइन लौरी चालान नहीं बनाया गया है तो ऑनलाइन लौरी चालान बनवाने में उनकी सहायता करना सुनिश्चित करते हुए उनके विरूद्ध कोइ उत्पीड़नात्मक कार्यवाही न की जाए।

Ranvir

(रणवीर सिंह चौहान)
आयुक्त कर,
उत्तराखण्ड।

O/C

Circle off./16-17/